न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 16/2022 जीसीएमएस नंबर :– 2022/37

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बाबुलाल पुत्र अमरराम 2. गेपाराम पुत्र अमरराम जातियान रेबारी निवासी कुड़ा तहसील सांचौर 3. मोरी पुत्री अमरराम पत्नी बाबुलाल जाति रेबारी निवासी पहाड़पुरा तहसील सांचौर 4. रमकु पुत्री अमरराम पत्नी प्रतापाराराम जाति रेबारी निवासी दांतवाड़ा तहसील रानीवाड़ा 5. सीमादेवी पुत्री अमरराम पत्नी दलपतराम जाति रेबारी निवासी कारोला तह. सांचौर		1. अमरराम पुत्र भेराराम 2. देवाराम पुत्र भेराराम 3. जोगाराम पुत्र वेलाराम 4. नगाराम पुत्र वेलाराम 5. सती देवी पत्नी लाखाराम 6. झमकु देवी पत्नी भगवानाराम जातियान रेबारी निवासी कुडा तहसील–सांचौर 7. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर 8. व्यवस्थापक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर पांचला 9. व्यवस्थापक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा पुर

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया
2. अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांक :–29.01.2025

1. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 हम प्रार्थीगण के पिता है व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 हम प्रार्थीगण के चाचा–ताऊ है तथा अप्रार्थी संख्या 06 झमकू पत्नि भगवाना हम प्रार्थीगण की सह खातेदार है। इस प्रकार हम पक्षकार हिन्दू परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। सरहद मौजा कुडा पटवार हल्का सरनाउ, तहसील सांचौर में प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि खेत खाता संख्या 45 के खसरा नंबर 8 रकबा 7.24 हैक्टेयर, खाता संख्या 42 खसरा नंबर 9 रकबा 1.84 हैक्टेयर व खाता संख्या 44 खसरा नंबर 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 236, 257 261 640 कुल रकबा 20.09 हैक्टेयर भूमि के आये हुए है जिसमें प्रार्थीगण का अपने पिता अमरा पुत्र भेरा के 1/4 हिस्से में हम [illegible] का 5/6 हिस्सा पुश्तैनी जन्मसिद्ध हक हकुको का आया हुआ है। मौके प[illegible]श्तैनी कब्जा भी प्रार्थीगण का स्थित है। द्वितीय सेटलमेन्ट के दौरान उक्त [illegible] नंबर 4, 82, 87, 248, 156, 73, 77 थे जो प्रार्थीगण के दादा [illegible] दर्ज हुई जो प्रथम मिस[illegible]स्त से स्पष्ट है कि भेरा के फौत होने पर उक्त भूमि प्रा[illegible]ण के पिता अमरा के ना[illegible]हुई जिससें वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध हक हकुक व अधिकार है प्रार्थीगण का मौके पर पुश्तैनी कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग का आया हुआ हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणीया भी स्थित हैं। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी नही हुआ हैं। संयुक्त आराजी हैं। जिसमें प्रार्थीगण का प्रत्येक कण–कण में पुश्तैनी हक हिस्सा मौजुद हैं प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकुक निहित होने से प्रार्थीगण का अपने पिता अमरा की भूमि में 5/6 हिस्सा नोशनल शैयर का आया हुआ है। उक्त हिस्से का अधिकार हक प्रार्थीगण का जन्मसिद्ध का है प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी सं. 01 अमराराम अत्यंत वृद्ध अवस्था के व्यक्ति है, जिनका विवके डगमगाया हुआ है जिसके सोचने–समझने की शक्ति नही रही हैं तथा अफीम व डोडा पोस्त के लम्बे समय से आदि है जिनके यादास्ती भी निम्न स्तर पर हैं। जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 2 से 6 ने अप्रार्थी सं. 01 अमराराम को आगे कर प्रार्थीगण को पुश्तैनी हको से वंचित करने व भूमिहीन की श्रेणी में खड़े करने के आशय से वादग्रस्त प्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण को नुकशान पहुंचाने के आशय से खेत खाता सं. 45 के खसरा नम्बर 8 रकबा 7.24 हैक्टर, खाता सं. 42 खसरा नम्बर 9 रकबा 1.84 हैक्टर व खाता सं. 44 खसरा नम्बर 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 236, 257, 261, 640, कुल रकबा 20.09 हैक्टर भूमि अवैध व गैर कानूनी रूप से प्रार्थीगण के पुश्तैनी हिस्से का व अमराराम अपने हिस्से से ज्यादा का आगे बैचान, रहन, हस्तानतरण, तर्क वसीयत आदि रूप से खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं। प्रार्थीगण का अपने पिता के 1/4 हिस्से में पुश्तैनी कब्जाकाश्त, जन्मसिद्ध हक हकुक आया होने से उक्त हिस्से की खातेदारी घोषणा प्रार्थीगण पाने के हकदार होने से व मौके पर स्थित ढाणी, माठे, कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी घोषणा का पेश किया जा चुका हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 में वर्णित आराजी का अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही करावें। वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत आदि नही करें तथा अप्रार्थी संख्या 7 वादग्रस्त आराजी से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करें। अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहत प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजि. एडी से जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 ,07 से 09 नोटिस तामिल के बावजूद उपस्थित नही । अतः अप्रार्थीगण 01, 07 से 09 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी संख्या 02 तथा 06 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना–पत्र का अवतरण संख्या 01 से हमारा कोई सारोकार नही है। प्रार्थना–पत्र का अवतरण संख्या 02 काफी हद तक सही होने से स्वीकार है। उक्त आराजी में भैराजी परिवार का 1/2 हिस्सा तथा वेलाजी परिवार 1/2 हिस्सा है जिसमे झमकु देवी ने वेलाजी परिवार से खसरा नम्बर 8 व 9 मे से 04–04 बीघा भूमि कुल 8 बीघा भूमि जरीए खरीद की हुई जिसमे पहले खसरा नम्बर 08 में से 1.29 हेक्टर भूमि क्रय की थी उसमे से 04 बीघा पुनः सति देवी को बेचान कर दी इसलिए खसरा नम्बर 08 में अभी झमकु देवी की 4 बीघा व सती देवी की 4 बीघा भूमि खातेदारी है। तथा खसरा नम्बर 9 में भी 4 बीघा खरीद सुदा भूमि है। इस प्रकार कुल 8 बीघा भूमि [illegible] की व 4 बीघा भूमि सति देवी की खरीद सुदा है। तथा शेष जोग[illegible] व [illegible] की [illegible] हिस्से की भूमि है। जिसमे से 12 बीघा भूमि बेचान हो चुकी है। प्रार्थना–पत्र का [illegible]ण संख्या 03 प्रार्थी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का क्लेम मात्र अमराराम जी [illegible] भूमि तक ही है। हमारी भूमि से प्रार्थी का कोई सारोकार नही है। जिसके सम्बन्ध में बैचान हस्तान्तरण व मौके तथा राजस्व रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी), सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

की यथा स्थिती की मांग की है। जो गलत है। उक्त भूमि का मौके पर विभाजन आज से 40 वर्ष पूर्व भैराजी के परिवार व वेलाजी के परिवार के मध्य हो चुका है। तथा भैराजी के परिवार मे भी अमराजी व देवाजी के आपसी विभाजन हो चुका है। जिसके तहत मौके पर दोनो भाई अलग–अलग काबिज है। जो इस कदर करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से अलग–अलग काबिज है। तथा वेलाजी के परिवार का भी बेचान की गई भूमि के बाद शेष रही भूमि का अंश के अनुसार मौके पर विभाजन हो चुका है। तथा अलग–अलग काबिज काश्त है । प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण के खिलाफ आरोप धमकी देने का लगाया है। जो गलत है क्योकि हमारी भूमि अलग से तथा प्रार्थीगण के पिता की भूमि अलग है। जिससे हमारा कोई सारोकार नही है। प्रार्थीगण के पिता की भूमि का बेचान करने का हमे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का क्लेम मात्र अप्रार्थी सख्या 01 अमराजी के खिलाफ जबकि अवतरण में अप्रार्थीगण द्वारा धमकी देने का कथन गलत किया है। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के खिलाफ कोई अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा का जारी नहीं किया जावे।

4. उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थीगण अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। जिसमें प्रार्थी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 01 अमराराम गैर कानूनी रूप से आराजी बेचान, रहन कर भूमिहीन की श्रेणी में प्रार्थीगण को खड़ा करना चाहते है। जिसे ऐसा करने को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी भूमि को आगे से आगे बैचान, रहन, तर्क करने हेतु अजनबी व्यक्ति को तुले हुए है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे।

6. प्रत्यतर में अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का 40 वर्ष पूर्व बंटवाडा हो चुका है। मौके पर अलग–अलग काबिज है। प्रार्थीगण का क्योंकि हमारी भूमि से प्रार्थीगण का कोई सारोकार नहीं है। क्योंकि हमारी भूमि अलग से तथा प्रार्थीगण के पिता की भूमि अलग है। अप्रार्थी अमराराम स्वस्थ एवं दुरुस्त व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पर प्रार्थीगण का सारहीन होने से काबिल खारिज है।

7. मैनें उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बिन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है।

(1) **मामला प्रथम दृष्टया** राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2076–2079 ग्राम कुडा पटवार हल्का सरनाउ के खाता संख्या 44 के खसरा नंबर 160, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 236, 257, 261, 640, कुल रकबा 20.08 व खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 9 रकबा 1.84 है, खाता संख्या 45 के खसरा संख्या 8 रकबा 7 जो प्रथम सेटलमेंट के खसरा संख्या 04, 87, 82, 73, 77, 248 से सृजित हुए है। उक्त पुराने खसरा नंबर के खातेदारान वेला, भेरा पि0 धर्मा कौम रेबारी है। उक्त सेटलमेंट के उपरांत द्वितीय सर्वे के दौरान भी खातेदारान वेला, भेरा पि0 धर्मा कौम रेबारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित वंशावली अनुसार भेरा वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

धर्मा प्राथीगण के दादाजी थे तथा भेरा के फौत होने पर उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी साबित होने से मामला, प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

(2) सुविधा का संतुलन बिन्दु संख्या 01 मामला दृष्टया, प्रार्थीगण पक्ष में पैतृक आराजी होने से सिद्ध किया जा चुका है। अतः उक्त बिन्दु का विस्तृत विश्लेषण तथा पुनरावर्ती न करते हुए प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(3) अपूर्णीय क्षति उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध किये जो चुके है। तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी साबित है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक का प्रमाणित अधिकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की पैतृक आराजी में बैचान, दस्तावेज व खुर्दबुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त बिन्दु की प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

—: निर्णय :—

8. अतः परिणामस्वरुप अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कुडा पटवार हल्का सरनाऊ के खसरा संख्या खसरा नंबर 8 रकबा 7.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9 रकबा 1.84 हैक्टेयर व खसरा नंबर 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 236, 261 640 जुमले रकबा 20.90 हैक्टेयर पर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार खर्चा अपना—अपना वहन करें। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(सहायक कलेक्टर, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.24 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner